कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्र–01 जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्र0/ 800 /संविदा भर्ती/2020–21 जांजगीर दिनांक 10/02/2021

–:: आदेश ::–

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23–08 /2020/20–3/22 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शैक्षणिक जिला जांजगीर में कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्र.–01 जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल जांजगीर में निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कंडिका 3 में उल्लेखित पद पर शासन द्वारा घोषित एकमुश्त मानदेय पर (अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे) अधिरोपित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी।

क्र.	शाला का स्तर	पद का नाम	माध्यम	चयनित अभ्यर्थी का नाम	चयनित संवर्ग	एकमुश्त देय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	उच्चतर माध्यमिक	**व्याख्याता** गणित	अंग्रेजी	रेणुका जैन	अना. मुक्त	38100
2	पूर्व माध्यमिक	**शिक्षक** अंग्रेजी	अंग्रेजी	सुरेखा नेताम	अना. मुक्त	35400
3	प्राथमिक	**सहायक शिक्षक** कला समूह	अंग्रेजी	मालवी मांझी	अ.ज.जा. मुक्त	25300
		सहायक शिक्षक विज्ञान समूह	अंग्रेजी	खुशवंत प्रताप सिंह	अ.ज.जा. मुक्त	25300

1. उपरोक्त पदांकित शिक्षक को नवीन पदस्थापना स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल जांजगीर जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) में दिनांक **20-02-2021** तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्र.–01 जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति जांजगीर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
3. संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
4. पुलिस अधिक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
5. नियुक्त सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 के प्रावधानों के अधीन होंगे एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
6. नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित की सेवा 1 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यदि संबंधित अभ्यर्थी अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हे 01 माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 1 माह का वेतन जमा करना होगा।
7. उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।

Scanned by CamScanner

8. यदि किसी भी स्तर पर उम्मीद्वार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

9. उपर्युक्त अभ्यर्थीयों द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये जाते हैं तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

10. समस्त चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से वार्षिक मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा उपरांत ही, विद्यालयीन आवश्यकता अनुसार आगामी सत्रों के लिये नियुक्ति निरंतर रखी जा सकेगी।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई प्रकृति की है, चयनित अभ्यर्थी इस आदेश में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थाईकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या अन्य कोई सेवालाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई दावा विचारनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
शा.उ.मा. उत्कृष्ट वि. क्र 01 जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ0क्र0/ 801 /संविदा भर्ती/2020–21 जांजगीर दिनांक 10/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चॉपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जन संपर्क अधिकारी, जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःषुल्क प्रकाषन हेतु।
7. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जांजगीर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल https://janjgir-champa.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. जिला कोषालय अधिकारी जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल जांजगीर को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्राप्त कर समय सीमा में कार्यभार ग्रहण कराते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कु./सुश्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
शा.उ.मा. उत्कृष्ट वि. क्र 01 जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner